/

घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 (22)2020/गोप्र/प्रमुवस/3069–3084/c दिनांक :–09.05.2022

निमित

समस्त मुख्य वन संरक्षक गण

विषयः– वन रक्षक व सहायक वनपाल की वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन एवं पदोन्नति की कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

प्रसंग :– संयुक्त शासन सचिव (वन) का पत्रांक प.7 (12) वन/2020 दिनांक 27.4.2022 एवं प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग का परिपत्र प.4 (1) कार्मिक/क–2/अ.प्र./2006 पार्ट दिनांक 6.5.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के पत्रांक प. 7(12)वन/2020 दिनांक 9.11.2020 से वनरक्षक एवं सहायक वनपाल की वरिष्ठता सूची केन्द्रीकृत रूप में जारी कर पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिये गए थे। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन रक्षक से सहायक वनपाल एवं सहायक वनपाल से वनपाल के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समितियों की बैठकों का आयोजन नहीं हो पाया। उक्तानुसार केन्द्रीकृत वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन में इस कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइयों से राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्रांक 7338/सी दिनांक 20.12.2021 द्वारा अवगत कराये जाने पर राज्य सरकार द्वारा जरिये उनके पत्रांक प.7 (12) वन/2020 दिनांक 27.4.2022 से वर्तमान में प्रभावी सेवा नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार ही वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिये हैं। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 1.4.2021 एवं 1.4.2022 की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियों को प्रकाशित करा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में पदोन्नति समिति के गठन/बैठकों संबंधी विहित प्रावधान अनुरूप यथाशीघ्र बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन एवं पदोन्नति संबंधी कार्यवाही करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना भी आवश्यक रूप से की जानी है :–

1. कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम में विहित प्रावधानों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों अनुरूप ही किया जाना है।

2. सेवा नियमानुसार वनपाल संवर्ग में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों का अनुपात 50 : 50 है। अतः पदोन्नति के पदों की गणना के समय उक्त अनुपात में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है।

3. पदोन्नति हेतु वांछित कार्यानुभव की गणना निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के 1 अप्रेल से पदोन्नति वर्ष के 1 अप्रेल तक की जानी होती है। कार्यानुभव की गणना के क्रम में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2 (1) कार्मिक/क–2/अप्र/91 दिनांक 31.3.2015 की पालना भी सुनिश्चित करें।

4. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 29.5.2020, 27.7.2020, 27.10.2020 एवं 30.6.2021 से पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिकाओं के संधारण हेतु उनके परिपत्र दिनांक 24.2.2020 से जारी दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना करने के निर्देश जारी किये गए हैं। अतः पदोन्नति की कार्यवाही से पूर्व उक्तानुसार रोस्टर पंजिकाओं के संधारण की सुनिश्चिता की जानी है। इस कम में समस्त मुख्य वन संरक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा कि उनके

अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्मिक विभाग के दिशा–निर्देशानुसार रोस्टर पंजिकाएं अद्यतन स्थिति में संधारित की जा रही हैं।

5. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.6.2021 से समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति के विवरण को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन करने के आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगी की पदोन्नति पर विचार नहीं करने एवं ऐसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं दिये जाने के आदेश जारी किए हैं। अतः उक्तानुसार ही पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

6. प्रायः यह देखने में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पदोन्नति समिति की अभिशंषा अनुरूप पदोन्नत कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जाती है जिसके परिणामस्वरूप इस कार्यालय स्तर से वनपाल संवर्ग हेतु जारी की जाने वाली वरिष्ठता सूची में पदोन्नत वनपालों के नाम अंकित होने से रह जाते हैं। अतः पदोन्नति की कार्यवाही उपरांत पदोन्नत वनपालों की सूचना इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठता सूची के कम में पूर्व में जारी प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

पदोन्नति संबंधी कार्यवाही हेतु कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा उनके परिपत्र दिनांक 4.6.2008 से विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किये गए हैं। कार्मिक विभाग ने जरिये परिपत्र दिनांक 6.5.2022 से वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक 1.4.2022 की स्थिति अनुरूप नियमानुसार वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन एवं पदोन्नति की कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किये हैं। अतः उक्त दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में बरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन पश्चात त्रुटिरहित पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

ह०

(एस.के.दुबे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ 15 (22)2020/गोप्र/प्रमुवस/3085-3175/c दिनांक :–09.05.2022

1. प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव वन को सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि आपके पत्रांक प. 7(12) वन/2020 दिनांक 27.4.2022 से पदोन्नति की कार्यवाही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4.6.2008 के बिन्दु 8.1 अनुरूप करने हेतु दिये गए निर्देश के कम में विभागीय स्तर पर पदोन्नति की कार्यवाही से संबंधित प्रस्तावित सेवा नियमों में संशोधन कराये जाने की कार्यवाही को वर्तमान में स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। अतः वर्तमान में सेवा नियमों में विहित प्रावधानों अनुरूप ही वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन कराया जाकर पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

2. प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(एस.पी. सिंह)
मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक
राजस्थान, जयपुर